न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3074 सन 2026
CNR. No.UPSP 01007273 2026

मुजयन पुत्र मुस्तकीम निवासी चौधरी विहार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0–203/2026,
धारा–318(4),61(2)(बी),115(2),351(3)
338,3(5) बी.एन.एस.
थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

27.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **मुजयन** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **दिनांक 02.07.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थानापत्र के साथ अभियुक्त की ओर से मुस्तकीम अली खान पुत्र जकाउल्ला का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मौहम्मद प्रवेज द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि विपक्षी संख्या अदनान एवं मुजयन द्वारा वादी मुकदमा को बिलकेश्वर नगर डिफेन्स कालोनी में 196.66 गज का प्लाट खरीद कर प्लॉट बेचने पर मुनाफा होने के बारे बताया गया, विपक्षी अदनान एवं मुजयन ने योजना के तहत वादी को प्लॉट पर बुलाकर, वादी कोप्लॉट का मालिक बताकर एक व्यक्ति से वादी को एक लाख रूपये 22,500/–रूपये के हिसाब से उक्त प्लाट का बयाना दिला दिया और मौ0 अहमद उर्फ सोनू उक्त प्लाट का मालिक होना दर्शित करते हुए उसे वादी से मिलवा प्रश्नगत प्लाट 19,000/–रूपये के हिसाब से वादी के पक्ष में क्रय करने का सौदा तय कराके वादी से 2,25,000/–रूपये नकद लेकर बाकी पैसे 4,50,000/–रूपये अपने पास से दिखाकर करा दिया। बाद में फर्जी ग्राहक ने वादी से प्लाट खरीदने से मना करके वादी को दिये गये एक लाख रूपये वापस ले लिये। विपक्षी अदनान ने वादी का खाताखेड़ी में स्थित 310 वर्ग गज का प्लाट लेने की योजना के तहत वादी से उक्त प्लाट देने के लिये कहा, वादी द्वारा मना करने पर विपक्षीगण ने वादी को जबरदस्ती मकान में ले जाकर उसके साथ मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देते हुए षडयन्त्र के अन्तर्गत कागजात पर वादी के हस्ताक्षर करा लिये तथा रसीद बनवा ली। वादी जब विपक्षीगण से खरीदे गये प्लाट पर नींव खोदने के लिये गया तो उसे पता चला कि उक्त प्लाट विपक्षीगण का नहीं है वे उक्त प्लॉट के फर्जी मालिक थे। विपक्षीगण द्वारा वादी पर खाताखेड़ी स्थित प्लाट का बैनामा अपने नाम कराने हेतु दबाव बनाया गया तथा बैनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 203/2026 अन्तर्गत धारा–318 (4), 61(2)(बी), 115 (2),351 (3) बी.एन.एस के अपराध में थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना मामले में धारा–338 बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा कोई फर्जी कागजात तैयार नहीं किये गये है। अभियुक्त प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करता है तथा वादी ने अभियुक्त के साथ मिलकर एक प्लाट का सौदा किया था, उसके बाद वह उक्त प्लाट क्रय करने से मुकर गया तथा अभियुक्त पर नाजायज दबाव बनाकर धन एठने के लिए यह झूठा मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से उसे दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी के साथ आपराधिक षडयंत्र करके पूर्व नियोजित उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाजायज लाभ अर्जित करने के आशय से आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से धोखाधड़ी से धनराशि प्राप्त करने तथा वादी के साथ मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के सन्दर्भ में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्तगण अदनान, मुजयन, मौहम्मद अहमद उर्फ सोनू एवं सावेज खान के विरूद्ध धारा 318(4), 61(2)(बी),115 (2), 351 (3) बी.एन.एस. के अर्न्तगत दर्ज की गयी है तथा दौरान विवेचना प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा धारा–338 बी0एन0एस0 की वृद्धि किया जाना दर्शित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा वादी को जबरदस्ती मकान में ले जाकर उसके साथ मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देते हुए वादी के हस्ताक्षर कराके एक रसीद तैयार किया जाना अभिकथित है। केस डायरी पर उपलब्ध कथित रसीद की छाया प्रति के अवलोकन से उक्त कथित रसीद पर आवेदक/अभियुक्त मुजयन के हस्ताक्षर होना परिलक्षित नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई फर्जी कागजात तैयार नहीं किये गये है। अभियुक्त प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करता है तथा वादी ने अभियुक्त के साथ मिलकर एक प्लाट का सौदा किया था, उसके बाद वह उक्त प्लाट क्रय करने से मुकर गया तथा अभियुक्त पर नाजायज दबाव बनाकर धन एठने के लिए यह झूठा मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक / अभियुक्त इस मामले में दिनांक 02.07.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना अभिकथित नहीं है।

अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मुजयन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1.मामले के प्रत्येक सुनवाई पर प्रार्थी/अभियुक्त स्वॅय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

2.आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351बी0 एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3.साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4.अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।
I.D.UP-1891

दिनांक 27.07.2026